Six persons, including four children, die in city due to dengue, high fever

TIMES NEWS NETWORK

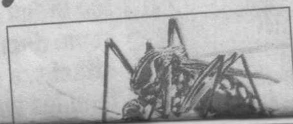

Kanpur: Six people, including four children, died on

Principal GSVM medical college Prof Sanjay Kala, meanwhile, said that

la, meanwhile, said that children were coming to the hospital in serious condition.

"People waste time at

FORM CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) and Rule 6 and 7]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH, AT ALLAHABAD

CA (CAA) 06 of 2021

In the matter of Companies Act, 2013;

And

In the matter of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of Scheme of Merger by Absorption of Yash Compostables Limited (the "Transferor Company/ Applicant Company No. 1/ YCL") AND **Yash Pakka Limited** (the "Transferee/ Resulting /Applicant Company No. 2/ YPL")

And

their respective shareholders.

ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE NCLT CONVENED MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF YASH PAKKA LIMITED

Notice is hereby given that by an Order dated 26th August, 2021 the Allahabad Bench of the National Company Law Tribunal has inter alia (i) dispensed with the meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of Yash Compostables Limited and (ii) directed separate meetings to be held of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of YPL for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the proposed Scheme of Merger by Absorption of Yash Compostables Limited (the "Transferor Company/ Applicant Company No. 1/ YCL") AND Yash Pakka Limited (the "Transferee/ Resulting /Applicant Company No. 2/ YPL") and their respective shareholders.

TAKE FURTHER NOTICE that in pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders, Secured Creditors and the Unsecured Creditors of YPL will be held for the purpose of considering and, if though fit, approving with or without modification(s) the proposed merger embodied between the Applicant Companies as set out in the Scheme, the Equity Shareholders, Secured Creditors and the Unsecured Creditors of YPL are requested to attend such meeting at the place and time mentioned hereunder:

- The meeting of the Equity Shareholders of YPL to be convened and held at Yash Nagar, Ayodhya - 224133, Uttar Pradesh on October 7, 2021 at 11:30 a.m.
- The meeting of the Secured Creditors of YPL to be convened and held at Yash Nagar, Ayodhya - 224133, Uttar Pradesh on October 7, 2021 at 01:30 p.m.
- The meeting of the Unsecured Creditors of YPL to be convened and held at Yash Nagar, Ayodhya - 224133, Uttar Pradesh on October 7, 2021 at 3:00 p.m.

In view of the Order, YPL will be conducting its meeting of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors via video conferencing as well. Pursuant to the Master Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/249 dated 22nd December, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, e-voting has been provided to the Equity Shareholders. The instructions for voting are provided in the Notice to the respective meetings.

Copies of the said Scheme of Amalgamation and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the Registered Office of YCL or YPL or at the office of its Advocates, M/s Rajani Associates situated at 204-207 Krishna Chambers, 59 New Marine Lines, Mumbai 400020. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the Registered Office of YPL not later than 48 hours before the meeting.

Form of proxy can be obtained from the Registered Office of the YPL.

The Tribunal has appointed Mr. Shivendra Bahadur, Advocate as Chairman, and Mr. Adarsh Bhusan, Advocate as alternative chairman and Mr. Anil Kumar, Company Secretary, as the scrutinizer of the aforesaid meetings. The above-mentioned Scheme of Amalgamation, if approved at the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

For **Yash Pakka Limited,**
Sd/-
Mr. Shivendra Bahadur

Dated: 4th, September, 2021
Place: Kanpur

'BSP used 'particular law' to suppress people of all castes'

Arindam Ghosh | TNN

Jhansi: Union minister of state for rural development Sadhvi Niranjan Jyoti assailed the Bahujan Samaj Party (BSP) and said during its regime in Uttar Pradesh, people of all castes and religions had been suppressed by misusing a particular law.

Speaking at the 'Prabudh Sammelan' (conference of intellectuals), an outreach programme of the BJP here on Sunday, she said, "Today the party (BSP) is using its general secretary Satish Mishra as a pawn to divide the society. The party, which used to call followers of Lord Ram as 'Manuwadi' has no right to raise questions on the construction of the Ram temple".

Attacking the Samajwadi Party (SP), Niranjan Jyoti said that during the SP government, led by Akhilesh Yadav, all kinds of developments had been done in Saifai only while CM Yogi Adityanath's focus was on the development of the entire state.

Hitting at Congress, she said the party is misguiding farmers with false propaganda. The Congress government in Rajasthan has not been able to waive off the loans of farmers even after three years as had been promised by Rahul Gandhi himself during the election campaign.

"During the second Corona wave while BJP workers were on the streets helping people, the other parties were hiding in their homes. Now when the elections are approaching, they are coming out to seek votes", she alleged.

She lauded the Yogi government for taking stern action against criminals and mafias and ensuring safety and security to the people.

Later, talking to reporters, the Union minister said people of Bundelkhnad have experienced a great change after PM Modi and CM Yogi took command at the Centre and UP respectively. Talking about MGNREGA, she said that before the Yogi government came to power the job cards of the beneficiaries used to be either with the secretary or with the village head but now the benefits are directly reaching the beneficiary.

ढ़ाया मान

के मनीश कुमार भी पुरस्कृत

ंत्री डा. दिनेश शर्मा व अन्य • जागरण

नाचार्या, कालेज, लखनऊ र्य, राम सरस्वती र , किसान वीरांगना का इंटर

शिक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए हम संकल्पित : उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा और सुखीमन शिक्षक हमारी प्राथमिकता हैं। डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती हुई, कहीं से भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आई। शिक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए हम संकल्पित हैं।

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिक्षकों के प्रमोशन को बिल्कुल न रोका जाए। हम संस्कृत शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे। संस्कृत के बच्चों को निश्शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हों, इसकी व्यवस्था कराई है।

ाओं से की योगी सरकार

पाल कुरैशी पर मुकदमा

- कहा-महमूद गजनवी, अब्दाली ने भी ऐसा नहीं किया जैसे ये सरकार कर रही
- कई अपशब्द भी कहे, बोले-जौहर विवि का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकेगा

सपा लेने पूर्व दाएं योगी ाओं । यह होगा, कर कई उधर, डिया आई था। विवि सको ादती ः को ा खां

और उनके परिवार पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। जो जालिमाना पालिसी (नीति) मौजूदा हुकूमत अपना रही है, जुल्म किया है, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। बड़े-बड़े लुटेरे, डाकू आए। हमलावर महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी ने भी ऐसा नहीं किया। यह हमारे लोगों के साथ अन्याय है। अजीज कुरैशी यहीं नहीं रुके। बोले-शायद मेरे बयान से गवर्नमेंट को शर्म आए। पूर्व राज्यपाल ने लोगों को भड़काने का भी प्रयास किया। यह कहकर कि यूनिवर्सिटी बचाने के लिए रामपुर के लोगों को आगे आना चाहिए था। सड़कों पर आते और सरकार को चलने न देते। यह करना चाहिए था।

'जीवन जीने का मार्ग बताते हैं शिक्षक'

एकेटीयू में आनलाइन शिक्षक सम्मान समारोह में बोले केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर

जागरण संवाददाता, लखनऊ : डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आनलाइन शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में हुए आयोजन में एमटीयू नोएडा के संस्थापक कुलपति प्रो. एसके काक और प्राविधिक शिक्षा सचिव आलोक कुमार भी शामिल हुए। एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनीत कंसल एवं कुलसचिव नंद लाल सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक की भूमिका माता-पिता से भी अहम है, क्योंकि शिक्षक व्यक्ति को जीवन जीने का मार्ग बताता है।

इनका हुआ सम्मान : आरती सक्सेना, पीएसआइटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, कानपुर • डा. अनुराग शुक्ला, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज कन्नौज • श्वेता जैनी, सर मदनलाल फार्मेसी संस्थान, इटावा व डा. नीरज शुक्ल • रंजीत श्रीवास्तव, बाबू बनारसी दास उत्तरी भारत प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ।

प्रपत्र सी ए ए. 2
(अनुभाग 230 (3) एवं नियम 6 एवं 7 के अनुपालन में)
राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण इलाहाबाद पीठ के समक्ष
2021 का सी ए (सी ए ए) 06
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में
एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 230 से 232 के मामले में
एवं

यश कम्पोसटेबल्स लिमिटेड (हस्तांतरित कम्पनी/आवेदक कम्पनी नंबर 1/वाईसीएल) एवं यश पक्का लिमिटेड (हस्तांतरिक/परिणामी/आवेदक कम्पनी सं. 2/वाईपीएल) एवं उनके संबंधित शेयर धारकों के विलय योजना के मामले में।

यश पक्का लिमिटेड के इक्विटी शेयर धारकों, सुरक्षित लेनदारों एवं असुरक्षित लेनदारों की एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक की सूचना का विज्ञापन

एतत्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायधिकरण की इलाहाबाद पीठ द्वारा 26 अगस्त 2021 के एक आदेश के तहत अन्य बातों के साथ साथ (I) यश कंपोस्टेबल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर धारकों, सुरक्षित लेनदारों एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठक को समाप्त कर दिया है तथा (II) यश कंपोस्टेबल्स लिमिटेड (हस्तांरण कंपनी/आवेदक कंपनी सं. 1/वाईसीएल) एवं यश पक्का लिमिटेड (हस्तांतरिक परिणामी, आवेदक कंपनी सं. 2 वाईपीएल) एवं उनके संबंधित शेयर धारकों के विलय द्वारा प्रस्तावित योजना में विचार करने के उद्देश्य से और यदि उचित समझा जाये तो संशोधन के साथ या बिना अनुमोदन हेतु वाईपीएल के इक्विटी शेयर धारकों, सुरक्षित लेनदारों एवं असुरक्षित लेनदारों की अलग अलग बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया।

आगे यह भी ध्यान दे कि उक्त आदेश के अनुपालन में एवं उसमें दिये गये निर्देशानुसार एतत्द्वारा सूचना दी जाती है कि वाईपीएल के इक्विटी शेयर धारकों, सुरक्षित लेनदारों एवं असुरक्षित लेनदारों की एक बैठक आवेदक कम्पनियों के मध्य सन्निहित प्रस्तावित विलय पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त हो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन के उद्देश्य से आयोजित की जायेगी। जैसा कि योजना में निर्धारित किया गया है कि वाईपीएल के इक्विटी शेयर धारकों, सुरक्षित लेनदारों एवं असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध किया जाता है कि वे नीचे वर्णित स्थान एवं समय पर ऐसी बैठक में भाग लें।

* वाईपीएल के इक्विटी शेयर धारकों की बैठक 7 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे यश नगर अयोध्या- 224133 उत्तर प्रदेश में आयोजित की जायेगी।
* वाईपीएल के सुरक्षित लेनदारों की बैठक 7 अक्टूबर 2021 को दोपहर 1.30 बजे यश नगर अयोध्या-224133 उत्तर प्रदेश में आयोजित की जायेगी।
* वाईपीएल के असुरक्षित लेनदारों की बैठक 7 अक्टूबर 2021 को दोपहर 3.00 बजे यश नगर अयोध्या- 224133 उत्तर प्रदेश में आयोजित की जायेगी।

आदेश के मद्देनजर वाईपीएल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इक्विटी शेयर धारकों, सुरक्षित लेनदारों एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित करेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/डीआईएल-1/सीआईआर/पी/2020/249 दिनांक 22 दिसंबर 2020 के तहत इक्विटी शेयर धारकों को ई वोटिंग प्रदान की गई है। मतदान के निर्देश संबंधित बैठकों की सूचना में दिये गये हैं।

समामेलन की उक्त योजना एवं धारा 230 के तहत बयान की प्रतियाँ वाईसीएल या वाईसीएल के पंजीकृत कार्यालय या इसके अधिवक्ताओं के कार्यालय 204-207 कृष्णा चैंबर्स 59 न्यू मैरीन लाइन मुम्बई-400026 में स्थित मैं. रजनी एसोसिएटस के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के हकदार व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं बशर्ते कि निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी बैठक से 48 घंटे पहले वाईपीएल के पंजीकृत कार्यालय में जमा किये जाये।

प्रॉक्सी प्रपत्र वाईपीएल के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। न्यायधिकरण द्वारा श्री शिवेन्द्र बहादुर एडवोकेट की अध्यक्ष, तथा श्री आदर्श भूषण एडवोकेट की वैकल्पिक अध्यक्ष एवं श्री अनिल कुमार कंपनी सचिव को उपरोक्त बैठकों का सेवीक्षक नियुक्त किया है। समामेलन की उपयुक्त योजना यदि बैठक में अनुमोदित होती है तो बाद में न्यायधिकरण के अनुमोदन के अधीनस्थ होगी।

कृते यश पक्का लिमिटेड
हस्ता./-
श्री शिवेन्द्र बहादुर

दिनांक 4 सितम्बर 2021
स्थान कानपुर

कार्यालय जिलाधिकारी कन्नौज